राजस्थान सरकार

खान (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : प.3(175)खान/ग्रुप–2/07 जयपुर, दिनांक : 14 OCT 2010

अधिसूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन की अधिसूचना संख्या प. 3(175)खान/ग्रुप–2/07 दिनांक 27.05.2008 जो कि राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 03.06.2008 में प्रकाशित हुई के द्वारा जिला जैसलमेर में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के अनारक्षित 18 ब्लाक्स को पूर्व में उनके क्षेत्रों में स्वीकृत खनन पट्टा पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र व क्वारी लाइसेंस के क्षेत्रों को छोड़कर विस्तृत पूर्वेक्षण एवं खनन हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए पुनः आरक्षित किया गया ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त 18 ब्लाक्स के संदर्भ में पूर्व में प्राप्त सभी खनन पटटा अनुदान हेतु आवेदन पत्रों (मा0 न्यायालयों के स्थगन आदेश प्राप्त प्रकरणों को छोड़कर) को निरस्त किया जाता है । तहसील एवं जिला जैसलमेर के निम्नांकित छ. ब्लाक्स के क्षेत्रों को एमसीआर, 1960 के नियम 59(1) के अन्तर्गत दिनांक 10 जनवरी, 2011 से एतद्द्वारा रिक्त घोषित किया जाता है और सीमेंट संयंत्र स्थापना हेतु खनिज लाइमस्टोन (सीमेंट ग्रेड) के खनन पटटा के अनुदान के लिए आवेदन पत्र निम्नांकित शर्तों के अनुसार कार्यालय सहायक खनि अभियंता, जैसलमेर में आमंत्रित किये जाते हैं :–

(i) आवेदन पत्र दिनांक 10 जनवरी से 09 फरवरी, 2011 तक की अवधि में प्राप्त किये जायेंगे और उन्हें एक ही दिन में प्राप्त माना जायेगा तथा इनका निस्तारण एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 11(3) सपठित धारा 11(4) के अन्तर्गत किया जायेगा ।

(ii) आवेदक इस क्षेत्र में उपलब्ध खनिज लाइमस्टोन के भण्डारों के आधार पर एक बड़ा सीमेंट संयंत्र खनन पट्टा स्वीकृति से 3 वर्ष अधिकतम अवधि में स्थापित करेगा, जिसकी वार्षिक क्षमता कम से कम 15 लाख टन सीमेंट उत्पादन की होगी । निर्धारित अवधि में सीमेंट प्लांट लगाने की पुष्टि हेतु कीननेस मनी के रूप में दो करोड़ रू. प्रति 10 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता की दर से बैंक गारंटी मंशा पत्र (एलओआई) जारी करने से पूर्व देनी होगी तथा खनन पट्टा संविदा निष्पादन से पूर्व एफडी के रूप में जमा करानी होगी। खनन पट्टा स्वीकृति से तीन वर्ष की अवधि में सीमेंट प्लांट स्थापित नहीं करने पर कीननेस मनी जब्त कर ली जायेगी तथा खनन पटटा रद्द कर दिया जायेगा ।

(iii) सीमेंट उत्पादन के लिए राज्य में उत्पादित लिग्नाइट खनिज का उपयोग उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा ।

(iv) उक्त क्षेत्र में विभाग द्वारा पूर्वेक्षण हेतु जो भी धनराशि व्यय की हुई है, उसे खनन पट्टा स्वीकृत होने पर राजकोष में जमा करवाना होगा ।

(v) यदि क्षेत्र में एस.एम.एस. ग्रेड लाइमस्टोन निकलता है तो वह आर.एस.एम.एम. लि0 के माध्यम से स्टील प्लांटों को नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर निर्गमित किया जायेगा।

(vi) जैसलमेर तथा सानू के बीच डाली जानी वाली ब्राडगेज लाईन के निर्माण में हिस्सा बटाने के लिए जैसाकि राज्य सरकार तय करेंगी, आर.एस.एम.एम. लि0 के साथ हिस्सेदारी करने के संबंध में अण्डरटेकिंग देनी होगी।

अनारक्षित किये जाने वाले छः ब्लाक्स का विवरण क्रमशः निम्नानुसार है :–

1. ब्लाक–खींया ब्लाक– II (के.एच.– II)– तहसील व जिला जैसलमेर

टोपोशीट संख्या 40 I/15 स्थाई बिन्दु टी.आई. 183

से	तक	बियरिंग	दूरी मीटर में
टी.आई. 183	X	138^0.00′	1900
X	Y	180^0.00′	2350
Y	A	90^0.00′	1750
A	B	90^0.00′	2000
B	C	360^0.00′	3500
C	D	270^0.00′	2000
D	A	180^0.00′	3500
कुल क्षेत्रफल – 7.00 वर्ग कि.मी.			

2. ब्लाक–खींनसर ब्लाक– IV – तहसील व जिला जैसलमेर

टोपोशीट संख्या 40 I/15 स्थाई बिन्दु टी.आई. 183

से	तक	बियरिंग	दूरी मीटर में
टी.आई. 183	X	138^0.00′	1900
X	Y	180^0.00′	2350
Y	A	90^0.00′	3750
A	B	90^0.00′	2800
B	C	180^0.00′	2500
C	D	270^0.00′	2800
D	A	360^0.00′	2500
कुल क्षेत्रफल – 7.00 वर्ग कि.मी.			

3. ब्लाक–मंधा ब्लाक– I (आर.एम. I)– तहसील व जिला जैसलमेर

टोपोशीट संख्या 40 I/15 स्थाई बिन्दु टी.आई. 183

से	तक	बियरिंग	दूरी मीटर में
टी.आई. 183	X	$138^0.00'$	1900
X	Y	$180^0.00'$	2350
Y	Z	$90^0.00'$	3750
Z	A	$360^0.00'$	2050
A	B	$360^0.00'$	2000
B	C	$90^0.00'$	4700
C	D	$180^0.00'$	2000
D	A	$270^0.00'$	4700
कुल क्षेत्रफल – 9.4 वर्ग कि.मी.			

4. ब्लाक–पारेवर (एस.एन. II)–जिला जैसलमेर

टोपोशीट संख्या 40 I/11 व 40 I/15 स्थाई बिन्दु टी.आई. 183

से	तक	बियरिंग	दूरी मीटर में
टी.आई. 183	P	$138^0.00'$	1900
P	Q	$270^0.00'$	9300
Q	R	$360^0.00'$	2500
R	S	$270^0.00'$	3200
S	A	$180^0.00'$	1200
A	B	$270^0.00'$	2800
B	C	$360^0.00'$	3600
C	D	$90^0.00'$	400
D	E	$180^0.00'$	400
E	F	$90^0.00'$	2000
F	G	$180^0.00'$	2000
G	S	$90^0.00'$	400
कुल क्षेत्रफल – 8.32 वर्ग कि.मी.			

5. ब्लाक–पारेवर (एस.एन. III)–जिला जैसलमेर

टोपोशीट संख्या 40 I/11 व 40 I/15 स्थाई बिन्दु टी.आई. 183

से	तक	बियरिंग	दूरी मीटर में
टी.आई. 183	P	$138^{0}.00'$	1900
P	Q	$270^{0}.00'$	9300
Q	R	$360^{0}.00'$	2500
R	S	$270^{0}.00'$	3200
S	A	$180^{0}.00'$	1200
A	B	$180^{0}.00'$	3200
B	C	$270^{0}.00'$	800
C	D	$180^{0}.00'$	400
D	E	$270^{0}.00'$	400
E	F	$180^{0}.00'$	400
F	G	$270^{0}.00'$	1600
G	H	$360^{0}.00'$	4000
H	A	$90^{0}.00'$	2800
कुल क्षेत्रफल – 10.40 वर्ग कि.मी.			

6. ब्लाक–पारेवर (एस.एन. V)–जिला जैसलमेर

टोपोशीट संख्या 40 I/11 व 40 I/15 स्थाई बिन्दु टी.आई. 183

से	तक	बियरिंग	दूरी मीटर में
टी.आई. 183	P	$138^{0}.00'$	1900
P	Q	$270^{0}.00'$	9300
Q	R	$360^{0}.00'$	2500
R	S	$270^{0}.00'$	3200
S	T	$180^{0}.00'$	1200
T	U	$270^{0}.00'$	2800
U	A	$180^{0}.00'$	800
A	B	$270^{0}.00'$	2400
B	C	$360^{0}.00'$	3200
C	D	$90^{0}.00'$	1200
D	E	$360^{0}.00'$	1200
E	F	$90^{0}.00'$	1200
F	A	$180^{0}.00'$	4400
कुल क्षेत्रफल – 9.12 वर्ग कि.मी.			

खनन पट्टा के आवेदन पत्र सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु अनारक्षित किये गये उपरोक्त चिन्हित ब्लाक की विवरण सूची अनुसार ही स्वीकार किये जायेंगे ।

इस अधिसूचना द्वारा अनारक्षित क्षेत्रों (ब्लाक) के मानचित्र एवं विवरण सूची कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, जैसलमेर एवं अधीक्षण भू–वैज्ञानिक, जोधपुर तथा निदेशालय, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर में देखे जा सकते हैं ।

आज्ञा से,

ह०

(सी0 एल0 कायल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल / मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, खान राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अधीक्षण खनि अभियंताओं / खनि अभियंताओं / सहायक खनि अभियंताओं / अधीक्षण भू–वैज्ञानिकों / वरिष्ठ भू–वैज्ञानिकों के इस अधिसूचना की प्रति भिजवाने की व्यवस्था करें, साथ ही अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर भी अप लोड किया जावे तथा इन ब्लाकों पर सभी लंबित आवेदन पत्रों को तत्काल निरस्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें ।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, जयपुर को एक अतिरिक्त प्रति सहित प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में तत्काल प्रकाशन करा राजपत्र की प्रति इस विभाग एवं निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर को भिजवाना सुनिश्चित करें । अधिसूचना की सी0डी0 संलग्न है।
3. रक्षित पत्रावली ।

(प्रहलाद सिन्हा)

शासन सहायक सचिव

4123
18/10

SMF TL

18/10/10 AEC.